IF UNDELIVERED PLEASE RETURN TO
मारवाड़ का मित्र
:: Regd. Office ::
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - जालोर (343041)

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25
UDYAM-RJ-19-0033346
Www.MarwadkaMitra.in

मारवाड़ का मित्र

सहकारी आंदोलन को समर्पित मारवाड़ आंचल से प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र
प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

वर्ष 23 | अंक 15 | सांचौर, शुक्रवार 1 अगस्त 2025 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

आखिर कौन ध्यान देगा सहकारी बैंकों की इस जटिल समस्या पर....

- कैसे आएगी राजस्थान में सहकार से समृद्धि ? जब सहकारी बैंकों के पास नहीं वित्तीय संसाधन....
- राजस्थान में किसानों का सहकारिता विभाग की नीतियों पर सवाल, सहकारी बैंक बोले- पूंजी की भारी कमी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

ऋण माफी शिविर – फाइल

जयपुर । राजस्थान की कर्ज माफी योजना ने केंद्रीय सहकारी बैंकों को अनेक पहियों वाली इंजन रहित गाड़ी बना दिया हैं । जिसमें पहियों (योजनाओं) की भरमार हैं, लेकिन (इंजन) पैसे की कमी हैं । आज राजस्थान को सहकारिता का मॉडल स्टेट बनाने के स्वप्न बुनने वाले सहकारिता विभाग की उदासीनता की वजह से केंद्रीय सहकारी बैंक कर्ज बांटने में असमर्थ होते जा रहें हैं । सबब केंद्रीय सहकारी बैंकों को राजस्थान सरकार की कर्ज माफी योजना में मिलने वाली 8 प्रतिशत ब्याज की 767 करोड़ राशि आज दिन तक नहीं मिल पाई हैं । जिसके चलते प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय रीढ़ को झटका लगा हैं । दरअसल, जब 2018 और 2019 में राज्य सरकार ने दो चरणों में ऋण माफी की घोषणाएं की थीं, तब लाखों किसानों के चेहरों पर राहत की लकीरें थीं। सरकार ने करीब 15365 करोड़ रुपये के मूल ऋण का भुगतान किया। साथ ही, भुगतान में देरी होने पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की घोषणा की, जिसके उपरांत 23 अप्रैल 2025 तक ब्याज पेटे 1391 करोड़ की राशि बनी, जिसमें से 624 करोड़ की राशि का सरकार स्तर से पूर्व में भुगतान किया जा चुका हैं । हालांकि 767 करोड़ रुपए बकाया हैं, जो केंद्रीय सहकारी बैंकों को समय पर नहीं मिलने से यह राशि उनके ही सिर का बोझ बन गई हैं । क्योकि पिछले कई सालों से केंद्रीय सहकारी बैंकों की लेखा पुस्तिका में उस राशि को ''राज्य सरकार से प्राप्य'' मद में दर्शाया जा रहा था । हालांकि इधर, भारतीय रिजर्व बैंक ने ''राज्य सरकार से प्राप्य'' मद की राशि को लेकर 31 दिसंबर 2024 को एक परिपत्र जारी कर, केंद्रीय सहकारी बैंकों को इस मद में दर्शाई राशि का 31 मार्च तक फिजिकली प्राप्त नहीं होने पर बैकों से शत-प्रतिशत प्रावधान करने का स्पष्ट निर्देश दिया । जिसके उपरांत बैंको को अपने वित्तीय संसाधनों से बकाया राशि का प्रावधान करना पड़ा हैं । जिससे वर्तमान समय में राज्यभर की अधिकांश केंद्रीय सहकारी बैंक 9 प्रतिशत सीआरएआर कायम रखने में विफल साबित हो रही हैं । और आने वाले समय में बैकों को यह राशि प्राप्त नहीं होने की दशा में सरकार की अनेक ऋण योजनाओं पर दीर्घकालीन असर पड़ सकता हैं ।

वित्तीय संसाधनों का भंवरजाल

उत्सव में पैकेज मिलने की थी उम्मीद

राजस्थान में सहकार एवं रोजगार उत्सव के राज्य स्तरीय समारोह में किसी भी तरह की कोई बड़ी घोषणा नहीं होने के चलते प्रदेश में सहकारी बैंकों के अधिकारियों व कर्मचारियों से लेकर पैक्स व्यवस्थापकों का वर्ग हताश नजर आ रहा हैं । क्योकि सहकार एवं रोजगार उत्सव में सीसीबी से लेकर पैक्स को यह आस थी कि इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिती को देखते हुए सरकार विशेष पैकेज देने की घोषणा कर सकती हैं । लेकिन कोई बड़ी घोषणा नहीं होने के कारण सबके चेहरों पर मायूसी ही देखी जा रही हैं ।

करीब 1366 करोड़ की राशि बकाया

प्रदेश की 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों में राज्य सरकार स्तर से करीब 1366 करोड़ की राशि अटकी पड़ी हैं । जिसमें कर्ज माफी योजना में विलंब भुगतान पर देय 8 प्रतिशत के रुप में 767 करोड़ की राशि के साथ अल्पकालीन फसली ऋण योजना में समय पर ऋण का चुकारा करने की एवज में देय 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान के तौर पर 472 करोड़ की राशि के अलावा, 0.80/1 प्रतिशत क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रुप में 127 करोड़ की राशि लंबे समय से बकाया बताई जा रही हैं । हालांकि प्रतिदिन वित्तीय संसाधनों से जुझती पैक्स और सीसीबी पर "यह काम-वह काम" का फरमान समीक्षा बैठकों मे जारी होता नजर आ रहा हैं ।

सहकारी बैंकों की इन योजनाओं पर प्रभाव

प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की जो हालात अंधाधुन ऋण वितरण से हुई थी । वही हालात अब राज्य की केंद्रीय सहकारी बैंकों की कर्ज माफी के कारण होती नजर आ रही हैं । बता दें कि राज्य के किसानों और गोपालकों को प्रत्यक्ष तौर पर साधने वाली दो ब्याज मुक्त योजनाएं यथा किसानों को 1.50 लाख रुपए तक अल्पकालीन फसली ऋण, गोपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख तक का ऋण योजना केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ ही, मध्यकालीन ऋण योजना यथा भूखंड/मकान क्रय/निर्माण ऋण शिक्षा, व्यक्तिगत एवं मोर्टगेज ऋण साख सीमा / कार्यशील पूंजी ऋण, प्राईवेट एवं वाणिज्यिक वाहन ऋण, होटल / रेस्टोरेन्ट व्यवसाय ऋण, पर भी प्रभाव पड़ना लाजमी है। क्योंकि यह योजनाएं मूल रुप से केंद्रीय सहकारी बैंकों के वित्तीय संसाधनों पर ही टीकी हैं और राज्य में अधिकांश केंद्रीय सहकारी बैंकों की हालात खराब हैं ।

एक्सपर्ट व्यू ...

एक्सपर्टो कहना है कि राज्य सरकार को अब स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ठोस और समयबद्ध कदम उठाने होंगे। सरकार को वित्तीय वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही तक पूरी बकाया ब्याज राशि का भुगतान कर देना चाहिए। ऋण माफी योजनाओं के साथ विभाग की प्रत्येक योजना के लिए एक स्थायी व समेकित नीति बनाई जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। साथ ही, कमजोर सहकारी बैंकों को सहारा देने के लिए सरकार को कम से कम 2000 करोड़ रुपये की पूंजी सहायता भी उपलब्ध करानी चाहिए। इसके अलावा, एक्सपर्टो का कहना हैं कि यह संकट केवल बैंकों तक सीमित नहीं है। जब बैंकों के पास पूंजी नहीं होगी, तो किसानों को समय पर फसली ऋण नहीं मिलेगा। और जब किसान ऋण से वंचित होंगे, तो उनकी खेती, उत्पादन और रोज़मर्रा की जिंदगी प्रभावित होगी। यह एक सिस्टमेटिक क्राइसिस है, जिसे नज़रअंदाज़ करना आने वाले चुनावी सालों में सरकार को भारी पड़ सकता है।

किसान नहीं भुले दावत

राज्य सरकार की कर्ज माफी के दिनों में किसानों ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों स्तर पर आयोजित विशाल शिविर में खूब हलवा-पुरी की दावत के लुत्फ़ उठाएं थे । आज भी इन आयोजनों की दावत किसानों के ज़ेहन से नहीं गई हैं । जहां, वर्ष 2018 एवं 2019 में कर्ज माफी योजना के तहत ग्राम सेवा सहकारी समितियों स्तर पर विशाल शिवरों का आयोजन कर ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटे गए। जिसके चलते प्रदेश की अधिकत्तर ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने घर फूंककर तमाशा देखो जैसी स्थिती का सामना किया और इसके पश्चात इनके संस्थागत लाभ को गहरा आघात पहुंचा और प्रदेश की एक चौथाई ग्राम सेवा सहकारी समितियां असंतुलन में चली गई। वर्तमान में इन्ही एक चौथाई ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़े कार्मिक ही पिछले अर्ध-दशक से नियोक्ता निर्धारण एवं वेतन भुगतान को लेकर सरकार से अनवरत गुहार लगा रहें हैं ।

पैक्स कार्यालय समय पर खुला रखने के निर्देश

बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को रखना होगा मूवमेंट रजिस्टर

- पैक्स में अन्य व्यक्ति /गैर-अधिकृत द्वारा कार्य नहीं करने के निर्देश
- पैक्स की कार्य प्रणाली में उप नियमों, विभागीय नियम एवं आदेशों की कठोरता से पालना के निर्देश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले की बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापक कार्यालय समय में मनमर्जी से इधर-उधर नहीं जा सकेंगे। अगर उनको वसूली कार्य, फील्ड कार्य, बैंक कार्य व अन्य विभागीय कार्य से कहीं जाना है, तो आने-जाने का समय और कार्यालय छोड़ने का कारण अंकित करना होगा। इसके लिए कार्यालयों में मूवमेंट रजिस्टर रखने के निर्देश दिए गए हैं । यह निर्देश जिले की समस्त पैक्स को कार्यालय समय पर खुला रखने और पैक्स समयबद्ध संचालित करने क्रम में केंद्रीय सहकारी बैंक अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी सुभाष चंद्र ने एक आदेश जारी कर दिए हैं । जिसमें एक से ज्यादा पैक्स का चार्ज होने पर सप्ताह के दिवस समितिवार निर्धारण कर सूचना पट्ट पर अंकन करने तथा व्यवस्थापक की अनुपस्थिति में पैक्स में कार्यरत सहायक व्यवस्थापक सेल्समेन द्वारा कार्यालय खुला रखने के अलावा, अन्य व्यक्ति /गैर-अधिकृत द्वारा कार्य नहीं करने के स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं । इसके अलावा, पैक्स की कार्य प्रणाली में उप नियमों, विभागीय नियम एवं आदेशों की कठोरता से पालना करने और भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता, निष्पक्षता, समयबद्धता से संचालन मण्डल के निर्देशन में कार्य संपादित करने, वही इसमें लापरवाही, अनियमितता, असंवेदनशीलता संज्ञान में आने पर कार्यवाली अमल में लाने का कहा गया हैं ।

दांता ग्राम सेवा सहकारी समिति –फाइल

नियमित साधारण सभा हो आयोजित

सीसीबी अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पैक्स में संचालन मण्डल की नियमित बैठक तथा उपनियम अनुसार साधारण सभा आयोजित करवाना व्यवस्थापक का अनिवार्य कार्य है, साथ ही, सहकारिता मंत्री के विशेष निर्देश अनुरुप व्यवस्थापक द्वारा किसानों को फसली ऋण वितरण एवं वसूली के समय संवेदनशीलता का परिचय देने के अलावा पैक्स की ऑडिट समय पर करवाने एवं ऑडिट आक्षेपों का समयबद्ध निस्तारण करवाने के निर्देश दिए गए हैं ।

सहकार जीवन रक्षा बीमा योजना की प्रगति समीक्षा बैठक | बीमा कपनियों द्वारा वसूले जाने वाले प्रीमियम और क्लेम की राशि में काफी अंतर

रिस्क रिलीफ फंड बनाकर दी जाए किसानों को राहत

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा किसानों को बीमा कपनियों की मनमानी से बचाने तथा उन्हें आर्थिक राहत दिलाने के लिए रिस्क रिलीफ फंड बनाया जाए और इस संबंध में तैयार किए गए ड्राफ्ट पर स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा कर उनके सुझाव भी सुने..!

जयपुर स्थित अपेक्स बैंक सभागार में सहकार जीवन रक्षा बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । किसानों को अधिक से अधिक राहत प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के बीमा के लिए व्यावहारिक विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए जिससे किसानों पर प्रीमियम का भार कम आए और उनके दावों का निस्तारण आसानी से हो सके। ऐसा सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने कहा हैं । दरअसल, श्री दक जयपुर स्थित अपेक्स बैंक सभागार में सहकार जीवन रक्षा बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में यह देखा गया है कि बीमा कम्पनियों द्वारा वसूले जाने वाले प्रीमियम और क्लेम की राशि में काफी अंतर होता है। बीमा कम्पनी द्वारा किसानों को किये जाने वाले दावों के भुगतान की राशि वसूले जाने वाले प्रीमियम की राशि की तुलना में बहुत कम होती है। अधिक प्रीमियम राशि के कारण किसानों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसानों को बीमा कम्पनियों की मनमानी से बचाने तथा उन्हें आर्थिक राहत दिलाने के लिए रिस्क रिलीफ फंड बनाया जाए। उन्होंने इस संबंध में तैयार किए गए ड्राफ्ट पर स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा कर उनके सुझाव सुने। सहकारिता मंत्री ने कहा कि वर्तमान में बीमा कम्पनी द्वारा अलग-अलग आयु वर्ग के लिए प्रीमियम की अलग-अलग दरें तय की हुई है। रिस्क रिलीफ फंड के अंतर्गत सभी आयु वर्ग के कृषकों के लिए एक समान प्रीमियम दर निर्धारित की जाए। रिस्क रिलीफ फंड का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पंजीकरण करवाने का प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रीमियम राशि के तौर पर ऋण राशि का एक प्रतिशत का प्रावधान उचित है। इससे किसानों को ऋण राशि के अनुपात में ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा जो वर्तमान में बीमा कम्पनी द्वारा लिए जा रहे प्रीमियम से कई गुना कम होगा। बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल, अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक श्री संजय पाठक एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) श्री संदीप खण्डेलवाल सहित संबंधित अधिकारी तथा विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं पैक्स से जुड़े जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित रहे।

हितधारकों के सुझाव सुनें

श्री दक ने रिस्क रिलीफ फंड योजना लागू करने तथा इसे प्रभावी बनाने के संबंध में विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं पैक्स से जुड़े जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों सहित अन्य हितधारकों के सुझाव सुनें तथा इन सुझावों को परीक्षण के उपरान्त नई योजना में शामिल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने विभाग द्वारा की जा रही इस पहल के लिए श्री दक का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

गांव-गांव में समितियां खोलने और रोजगार बढ़ाने पर जोर

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पेश की नई सहकारिता नीति

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई सहकारिता नीति को पेश करते हुए कहा कि यह नीति 2047 तक विकसित भारत की अवधारणा को मजबूती देगी और देश के गांवों को आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में इसका औपचारिक ऐलान किया। शाह ने कहा, यह नीति जमीन से जुड़े लोगों के लिए बनाई गई है। सहकारिता यानी साथ मिलकर काम करना, यह वही सरकार समझ सकती है, जो जनता के करीब है। शाह ने कहा कि जब गांव, किसान और आम लोग खुशहाल होंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने सभी राज्यों से 31 जनवरी 2026 तक अपनी राज्य सहकारिता नीति तैयार करने का आग्रह किया। शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास ही सच्चा मॉडल है। सहकारिता मंत्रालय इसी सोच को आगे बढ़ाता है। उन्होंने इसे गांवों के लिए एक स्थायी विकास मॉडल बताया।

नीति के प्रमुख उद्देश्य

- हर गांव में कम से कम एक सहकारी संस्था की स्थापना।
- फरवरी 2026 तक 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चरल केडिट सोसाइटीज की स्थापना।
- रोजगार के नए अवसर पैदा करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना।
- महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और किसानों को प्रत्यक्ष लाभ देना।

देशभर से लिए गए सुझाव

नीति निर्माण के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक 48 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। इस समिति ने अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना और गुरुग्राम जैसे शहरों में 17 बैठकें और 4 वर्कशॉप आयोजित कीं। पूरे देश से 648 सुझाव एकत्र किए गए और उन्हें नीति में शामिल किया गया। शाह ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान, गांव और छोटे व्यापारी आपस में मिलकर आगे बढ़ें। यह नीति सहकारिता के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और देश को विकसित भारत की ओर ले जाने का रोडमैप है।

सहकारिता विभाग पंजीयक ने जारी की गठन स्वीकृति

44 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गठित होगी बहुउद्देशीय सहकारी समितियां

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश के 7 जिलों की 44 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 44 नवीन बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की स्वीकृति सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा जारी की गई हैं । जिसके अनुसार, बूंदी जिले की 3, जालोर जिले की 5, बीकानेर जिले की 4, पाली जिले की 5, उदयपुर जिले की 6, प्रतापगढ़ जिले की 18, सवाईमाधोपुर जिले की 3 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवीन बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की स्वीकृति जारी की गई हैं । साथ ही, संबंधित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को पंजीयन की आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं इसके अलावा, पत्र के अनुसार समितियों के गठन और सृजन के लिए राज्य सरकार स्तर से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी वही स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा प्रथम पांच वर्ष के लिए कार्यालय भवन के साथ गोदाम निर्माण के लिए 1500 वर्ग मीटर का नि:शुल्क भूखंड उपलब्ध कराई जाएगा ।

समृद्ध भारत की राह

भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है, और इस आत्मा की सामूहिक शक्ति का नाम है सहकारिता। इसका सरल सा अर्थ है- मिल-जुलकर अपने विकास के लिए काम करना। इसी विचार ने गुजरात में अमूल जैसी दूध की क्रांति को जन्म दिया, लिज्जत पापड़ के माध्यम से लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और इफको के जरिए करोड़ों किसानों तक खाद पहुंचाई। दशकों से यह सहकारी आंदोलन देश की अर्थव्यवस्था की एक मूक रीढ़ रहा है। हाल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 का अनावरण किया है। इस नीति का सबसे बड़ा जोर व्यवस्था को जमीनी स्तर से, यानी गांव से मजबूत करने पर है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि सहकारी समितियां केवल लोकतांत्रिक ही न हों, बल्कि पेशेवर तरीके से चलें। नीति का एक और क्रांतिकारी पहलू सहकारिता के दायरे का विस्तार करना है। अब सहकारिता सिर्फ खेती-किसानी, दूध या चीनी मिलों तक सीमित नहीं रहेगी। यह नीति पर्यटन, स्वास्थ्य, बीमा, भंडारण, टैक्सी सेवा और यहां तक कि हरित ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों के लिए भी दरवाजे खोलती है। यह नीति ऐसे नवाचारों को बढ़ावा देती है, जिससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा होंगे। यह सहकारिता को 21वीं सदी के भारत की जरूरतों के साथ जोड़ने का एक ईमानदार प्रयास है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए पूंजी यानी धन सबसे जरूरी है। अब तक सहकारी समितियों के लिए पूंजी जुटाना एक बड़ी चुनौती थी। यह नीति उन्हें बाजार से भी धन जुटाने के लिए सक्षम बनाएगी। इससे उनकी वित्तीय निर्भरता कम होगी और वे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाथ में ले सकेंगी। एक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस भी बनाया जा रहा है, जो एक ही जगह पर देश की सभी सहकारी समितियों की जानकारी रखेगा। इससे बेहतर योजना बनाने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है। यह नीति उस छोटे किसान के लिए है, जो अपनी फसल का सही दाम चाहता है। यह उस महिला के लिए है, जो घर पर रहकर भी सम्मान के साथ आजीविका कमाना चाहती है। यह उस युवा के लिए है, जो अपने गांव में ही रहकर एक सफल उद्यमी बनने का सपना देखता है, लेकिन सिर्फ नीति बना देना ही काफी नहीं होता। इसकी असली सफलता इसके सही और ईमानदार क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि इस नीति का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ऐसा होगा तभी यह नीति भारत को सामूहिक प्रयास की शक्ति से एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने की राह पर मीलों आगे ले जाएगी।

नए भारत के निर्माण में सहकारिता नीति का योगदान

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी
चेयर प्रोफेसर, केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब एवं राष्ट्रपति के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी
(यह लेखक के अपने विचार है)

> इसी माह संयुक्त राष्ट्र में यह विमर्श हुआ कि कैसे सहकारी समितियां 2030 एजेंडा और आगामी विश्व सामाजिक शिखर समेलन के अनुरूप समावेशी, सतत विकास को आगे बढ़ा सकती हैं। इस समय दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें निरंतर गरीबी, जलवायु आपातकाल, आर्थिक झटके, संघर्ष और बढ़ती असुरक्षा जैसे मुद्दे छाए रहे।

लगभग 23 वर्षों बाद की लंबी प्रतीक्षा के बाद अंततः देश को नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति मिल गई है। इसका उद्देश्य सहकारिता के सहारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित करके भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस नीति का मसौदा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विमर्श के बाद तैयार किया गया है। वहीं गुजरात के आणंद में हाल ही में त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय का भूमि पूजन हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसकी थीम ही है- सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय जैसी संकल्पना इस पूरी थीम के साथ न्याय करती है। यह सतत विकास में अग्रणी भूमिका निभाते हुए जन-केंद्रित और आत्मनिर्भर सहकारी उद्यमों का समर्थन है एवं एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करने की कोशिश है जिससे भारत के सभी हितधारक सहकारिता के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के जीवन को समृद्ध बना सके। सहकारिता वर्ष की थीम जब दी गई थी तो यह सौचा गया था कि एक ऐसी रणनीति बने जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा देकर सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करने की सहकारी समितियों की अद्वितीय क्षमता को बढ़ाया जा सके। श्रमेव सिद्धिः देखा जाए तो श्रम का अपना मूल्य होता है। श्रम किसी से उपकार नहीं चाहता। हमारे शास्त्र कहते हैं- श्रमेव सिद्धि। हमारे देश में सहकार से सिद्धि की संपूर्ण उम्मीद श्रम पर आधारित है। ऐसे में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह श्रम से सिद्धि के साथ सहकार से सिद्धि का अभिमंत्र लेकर संपूर्ण भारत को जागृत कर रहे हैं। आने वाला समय सहकारिता का समय है। सहकारिता के पैरोकारों को इसलिए अपने समर्पित मन से इस दिशा में सोचने की आवश्यकता होगी। किसी भी राष्ट्र का निर्माण उस भूमि पर रहने वाले जीवंत लोगों से सुनिश्चित होता है। हमारे सहकार से समृद्धि का स्वप्न तभी पूर्ण हो सकेगा, जब हम सहकारिता के पैरोकारों की संख्या में वृद्धि करें। नई पहल करें, नए आयामों पर विचार करें। बेहतर विश्व का निर्माण आज पूरी दुनिया यह जान चुकी है कि सहकारी उद्यम लोगों को सशक्त बनाते हैं, समुदायों को मजबूत करते हैं। लोकतंत्र, मानव गरिमा, एकजुटता और स्थिरता के मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। साथ मिलकर चलने की खुशी और सहकारिता से जीवन को संवारने की कोशिश वर्ष 1923 से शुरू है। अब तो दुनिया में बहुत बदलाव हुआ है। नए तकनीकी विकास व सूचना-संचार ने सभी को एकीकृत किया है। अब सहकारिता को आसानी से मजबूत किया जा सकता है। एकीकृत होकर नई उपलब्धियों हेतु चेंज-मेकर की भूमिका में अपनी युवा पीढ़ी को सम्मिलित करने की बारी है। भारत अपनी युवा जनसंख्या को यदि सहकारिता से जोड़ लेगी तो दुनिया में भारत युवा सहकारिता आंदोलन के जरिए ही बहुत कुछ हासिल करने की स्थिति में आ जाएगा। इसी माह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यह विमर्श हुआ कि कैसे सहकारी समितियां 2030 एजेंडा और आगामी विश्व सामाजिक शिखर सम्मेलन के अनुरूप समावेशी, सतत विकास को आगे बढ़ा सकती हैं। इस समय दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें निरंतर गरीबी, जलवायु आपातकाल, आर्थिक झटके, संघर्ष और बढ़ती असुरक्षा जैसे मुद्दे छाए रहे। अब हम 18वीं सदी के स्काटलैंड या 1895 में लंदन में हुए सहकारिता कांग्रेस और विशिष्ट आंदोलनों की ओर मुड़कर देखें तो उनसे सहकारिता संघर्ष व तत्कालीन परिस्थितियों को समझा जा सकता है। भारत ने भी इसके महत्व को समझा है। केंद्र सरकार अब सहकारिता के माध्यम से आमजन के जीवन में आ रहे बदलाव को भारत में बदलाव के रूप में देख रही है। सहकारिता मंत्री इस संदर्भ में सहकारिता की सफलता की कहानियां न केवल सुन रहे हैं, अपितु दूसरों को प्रेरणा भी दे रहे हैं कि सहकार से सिद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है। यह होता है सतत प्रयास और बदलाव के लिए उद्यम।

प्रकृति के साथ जुड़ाव ; राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जो सहकार से समृद्धि की कहानी रच रही है, इसकी एक और प्रमुख बात है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से इंसान और धरती की सेहत अच्छी रखने की अभूतपूर्व कोशिश की जा रही है। इससे पानी का बचाव करते हुए अनाज के उत्पादन में वृद्धि होगी। भारतोय सहकारिता में इस प्रकार केवल मनुष्य की चिंता नहीं है, अपितु सच्चे मायने में प्रकृति, धरती और जीव व जीवन की पुनर्बहाली करने की चेष्टा है। संपूर्णता में देखें तो सहकारिता का सरकार का यह प्रयास भारत में समावेशिता को आगे बढ़ाने जा रहा है, जिससे देश के विकास की गतिशीलता भी कई गुना बढ़ जाएगी

गांव-शहर में डिजिटल क्रांति का विस्तार

भारत लगातार डिजिटाइजेशन की ओर अग्रसर है। आज हमारे देश में डिजिटल भुगतान लोकतांत्रिक बन चुका है। इस क्रम में, हाल ही में भारत का यूपीआई अंतरराष्ट्रीय बाजार में डिजिटल भुगतान का बादशाह बन गया है, और यह हम सभी को गौरवान्वित महसूस कराता है। दरअसल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह बात मानी है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को बड़े पैमाने पर अपनाने के कारण भारत दुनिया का सबसे तेज पेमेंट सिस्टम वाला देश बन गया है। कितनी बड़ी बात है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित यह सिस्टम अपनी तेजी, सुरक्षा और सुविधा के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। आज गांव हो या शहर, छोटे से छोटे भुगतान भी भारत में यूपीआई के जरिए किए जा रहे हैं। कहीं पर भी पैसा भेजना हो या पैसा प्राप्त करना हो, बिल भरने से लेकर फोन रिचार्ज, सब्जी, किराना का सामान खरीदने, आनलाइन टिकट बुकिंग हो या किसी भी दुकान, रेहड़ी, ठेलेवाले, दूध और चाय वालों कैंटीन में तथा कहीं पर भी, कोई भुगतान करना हो, हर किसी को बहुत ही आसानी से यूपीआई माध्यम से पलभर में भुगतान किया जा रहा है। यूजर्स को यूपीआई लेन-देन का जमकर लाभ मिल रहा है और अब हर कोई बैंक के लेन-देन के झंझटों से परे हो चुका है। इसकी एक और खास बात यह भी है कि चाहे किसी यूजर के पास कितने ही खाते क्यों न हों, वह अपने सारे खातों को एक ही ऐप से जोड़ सकता है, और उन पर कंट्रोल रख सकता है। वास्तव में हमारे देश की यह उपलब्धि हमारी तकनीकी प्रगति को तो रेखांकित करती ही है, इससे यह भी पता चलता है कि कैसे एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे ने देश को नकदी प्रधान से डिजिटल प्रधानअथ व्यवस्था की ओर ले जाने का शानदार मार्ग प्रशस्त किया है।

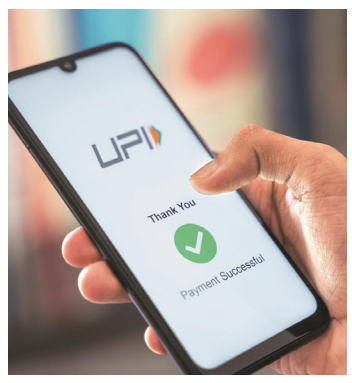

> यूपीआई ने भारत को दुनिया का सबसे तेज डिजिटल भुगतान देश बनाया। इससे कैशलेस अर्थव्यवस्था को गति मिली, पारदर्शिता बढ़ी, छोटे व्यापारियों को पहचान मिली और आम आदमी को बैंकिंग की सहज सुविधा मिली।

अब व्यक्ति को पैसे को जेब में रखकर चलने की जरूरत नहीं है। बस एंड्रॉयड मोबाइल व अन्य इंटरनेट डिवाइस का प्रयोग करके कहीं पर भी आसानी से लेन-देन किया जा सकता है। सच तो यह है कि आज भारत में एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है और इसका फायदा हर किसी को मिल रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि आज यूपीआई ने वैश्विक उपलब्धियां हासिल कीं हैं। आज यूपीआई की सेवाएं संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, नेपाल, और श्रीलंका समेत अनेक देशों में हैं। कहना गलत नहीं होगा कि यूपीआई की रियल-टाइम पेमेंट प्रणाली ने इसे वैश्विक स्तर पर सबसे तेज भुगतान प्रणालियों में से एक बनाया है। यहां गौरतलब है कि जनवरी 2024 में, गूगल इंडिया और एनपीसीआई ने यूपीआई को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने के लिए एक साझेदारी की, जो भारतीय यात्रियों को विदेशों में आसान और सुरक्षित भुगतान की सुविधा प्रदान करती है, साथ ही अन्य देशों में यूपीआई प्रेरित भुगतान प्रणालियों को विकसित करने में भी मदद करती है। इतना ही नहीं, एनपीसीआई ने यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट सेवा भी शुरू की है, जो विदेशी पर्यटकों को भारत में यूपीआई भुगतान करने की सुविधा देती है, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन के बिना भीक्यू आर कोड स्कैन करके लेन-देन संभव है। बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि जैसे-जैसे यूपीआई नए देशों और विभिन्न बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, यह न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि वैश्विक डिजिटल भुगतान परिदृश्य को भी नया आकार दे रहा है। सच तो यह है कि आज यूपी आई प्रणाली के कारण बैंकिंग आम आदमी की जेब में है और वह एक बड़ा परिवर्तन इसलिए है, क्यों कि अब हम कैशलेश अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ चुके हैं, जहां कैश की जरूरत बहुत कम ही पड़ती है। कुल मिलाकर आज आम आदमी की नकदी पर निर्भरता घटी है, पारदर्शिता बढ़ी है और छोटे कारोबारियों को भी डिजिटल पहचान मिली है। आज कैशलेस अर्थव्यवस्था के कई लाभ हमारे देश को हुए हैं, जिनमें सुविधा, पारदर्शिता, सुरक्षा, और आर्थिक विकास शामिल हैं। वास्तव में, यह लेन-देन को आसान बनाता है, काले धन और भ्रष्टाचार को कम करता है, और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।

- सुनील कुमार महला
यह लेखक के अपने विचार हैं।

सफलता की कहानी....

विविधीकरण की ओर बढ़ती देवगांव

वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति

प्रकाश वैष्णव
Www.marwadkamitra.in

उदयपुर । गांव की सहकारी समिति आर्थिक गतिविधियों का हब बनने के सपने को पूरा करती सलूम्बर जिले के देवगांव वृहत कृषि बहुउददेशीय सहकारी समिति विकास की नई इबारत स्थापित कर रही हैं । लैम्प्स के सदस्य, संचालक के साथ व्यवस्थापक एवं कार्मिक के संयुक्त प्रयास एवं उदयपुर सीसीबी बैंक प्रबंधन के पथप्रदर्शन और कुछ नया करने की ललक से देवगांव लैम्प्स अनूठा स्थान बनाते हुए आज गांव में मॉडल समिति बन गई हैं । एक ही परिसर में फसली सहकारी ऋण वितरण के साथ खाद-बीज भंडारण व वितरण, मिनी बैंक का संचालन, एपीओ की स्थापना और उचित मूल्य पर सामग्री वितरण, कस्टम हायरिंग केंद्र का संचालन कर किसानों को सुगमता उपलब्ध कराई जा रही हैं । 457 हैक्टेयर क्षेत्रफल में बसे देवगांव, में 2011 की जनगणना के अनुसार 1390 लोग निवासरत हैं, जिनकी आजीविका का

मुख्य आधार कृषि है। ऐसे ग्रामीण परिवेश की जनता को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वर्ष 2010 में देवगांव वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति का गठन किया गया। आज लैम्प्स के कार्य क्षेत्र में पांच राजस्व ग्रामों से 976 सदस्य जुड़े हुए है, इनमें से 404 ऋणी सदस्यों को वर्ष 2024-25 में 3 करोड़ 35 लाख रूपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाया गया । इसके अलावा, पशुपालकों की आजीविका में सुधार के लिए सरकार स्तर से लागू राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत भी गोपालकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं । लैम्प्स में कृषि के साथ-साथ अकृषि ऋणों की भी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं, जिससे वित्तीय सक्षमता को अनवरत बढ़ावा मिल रहा हैं । साथ ही, किसानों को रियायती दरों पर ट्रेक्टर, सीडड्रील, रोटावेटर, डिस्क फलों आदि कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा समिति स्तर पर स्वीकृत कस्टम हायरिंग केंद्र से किसानों सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

मिनी बैंक की संचालन

देवगांव लैम्प्स के व्यवस्थापक विरेन्द्र गिरी का कहना हैं कि केफिकार्ड योजनान्तर्गत समिति मिनी बैंक में चयनित हैं और समिति द्वारा मिनी बैंक का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा हैं । मिनी बैंक में 2620 बचत खाते खुलना इस बात का संकेत हैं कि क्षेत्र के लोगों का समिति में विश्वास कायम हैं । 2620 खातों का संचालन करने के साथ प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के जरिए किसानों को डीएपी, यूरीया, सिन्गल सुपर फास्फेट, एनपीके नैनों यूरीया, नैनो डीएपी खाद की उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा हैं । साथ ही, केंद्र सरकार की पैक्स को डिजीटल और पारदर्शी बनाने वाली पैक्स कंप्यूटराईजेशन योजना में समिति गो-लाइव होने के उपरांत वर्तमान में समिति का अधिकतर कार्य ऑनलाईन की संपादित किया जा रहा हैं ।

उदयपुर सीसीबी कार्यक्षेत्र की देवगांव वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति ने अल्प समय में लिखी विकास की नई इबारत...। समिति का मंतव्य भावी समय में जनोपयोगी सेवाओं का समिति स्तर से मिले आमजन को अधिकाधिक लाभ ।

सुविधा उपलब्ध

देवगांव लैप्स के अध्यक्ष गोविन्द्रसिंह कृष्णावत का कहना हैं कि सदस्य किसानों को समय पर ऋण-खाद बीज आदि की सुविधा समिति स्तर से उपलब्ध कराई जाती हैं । साथ ही, सहकार से समृद्धि पहल के तहत किसान उत्पादक संगठन का गठन किया गया हैं । जिसके माध्यम से पशुआहार बिक्री का कार्य करने के अलावा गेहूं ग्रेडिंग तथा प्रोसेसिंग यूनिट पर कार्य किया जा रहा हैं । इतना ही नहीं, लैप्स द्वारा उचित मूल्य की दुकान का संचालन कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य निष्पादित किया जा रहा हैं ।

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 500/- ☐ दो वर्ष रु. 1000/- ☐ तीन वर्ष रु. 1500/- ☐ छह वर्ष रु. 3000/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना में बिलाड़ा और चित्तौड़गढ़ पीएलडीबी का श्रेष्ठ प्रदर्शन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। भूमि विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना को क्रियान्वित करने में बिलाड़ा और चित्तौड़गढ़ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जा रहा है। दोनों पीएलडीबी अब तक राज्य औसत से तीन गुना से अधिक राशि की बकाया वसूली कर चुके हैं और प्रदर्शन की दृष्टि से राज्य में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर हैं। बिलाड़ा पीएलडीबी 62.03 प्रतिशत वसूली के साथ राज्य में प्रथम स्थान पर है। बैंक की 214 ऋणी सदस्यों पर 4.82 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। इनमें से 184 ऋणी सदस्यों से 1.90 करोड़ रुपये की आंशिक एवं पूर्ण वसूली प्राप्त की गई तथा 1.09 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की गई। कुल पात्र ऋणी सदस्यों में से लगभग 86 प्रतिशत को योजना के दायरे में लाया जा चुका है। इसी प्रकार, चित्तौड़गढ़ पीएलडीबी 59.48 प्रतिशत वसूली के साथ राज्य में द्वितीय स्थान पर है। यहां 273 ऋणी सदस्यों पर 4.74 करोड़ रुपये बकाया था। इनमें से 110 ऋणी सदस्यों द्वारा पूर्ण राशि 1.45 करोड़ रुपये जमा कराये गए एवं इन्हें 1.27 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की गई। जबकि, 39 प्रकरणों में ऋणी सदस्यों से 0.10 करोड़ रुपये की आंशिक वसूली प्राप्त हुई है। इस प्रकार, कुल वसूली 2.82 करोड़ रुपये की हुई है। बिलाड़ा और चित्तौड़गढ़ पीएलडीबी के सचिव ने बताया कि बैंक प्रबंधन द्वारा निरन्तर सक्रिय रहते हुए किये गए विभिन्न प्रयासों की वजह से यह संभव हो सका है। बिलाड़ा पीएलडीबी के सचिव श्री रामसुख चौधरी के अनुसार फील्ड स्टाफ, बैंक स्टाफ एवं बैंक प्रबंधन ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए वसूली के प्रयास किए। बैंक द्वारा ऋणियों से ऋण वितरण के बाद भी निरन्तर गहरा सम्पर्क रखा गया तथा सामाजिक सरोकारों में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई गई। इससे ऋणी सदस्यों का बैंक के साथ जुड़ाव हुआ। साथ ही, ऋणियों का बैंक पर यह भरोसा भी कायम है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें बैंक द्वारा त्वरित कार्यवाही कर नया ऋण उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

व्यक्तिगत रूप से ऋणियों से दूरभाष पर सपर्क किया

चित्तौड़गढ़ पीएलडीबी के सचिव श्री सुनील कुमार व्यास ने बताया कि फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित रूप से किसानों से सम्पर्क कर उन्हें योजना की जानकारी दी गई एवं राशि जमा कराने के लिए प्रेरित किया गया। वसूली में सरपंचों एवं सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों का भी सहयोग लिया जा रहा है। अधिक राशि के प्रकरणों में बैंक अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से ऋणियों से दूरभाष पर सम्पर्क किया गया तथा वीडियो कॉल के माध्यम से सम्पर्क साधा गया। साथ ही, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं पारिवारिक रिश्तेदारों के माध्यम से भी किसानों से समझाइश कर योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे वसूली में आसानी हुई। उन्होंने बताया कि अधिक राशि के प्रकरणों में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) एवं उप रजिस्ट्रार के स्तर पर व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया तथा एक लाख रुपये से अधिक राशि के प्रत्येक प्रकरण में उनके स्वयं के द्वारा सम्पर्क किया गया।

मूल धन जमा करवाने पर शत प्रतिशत की राहत

उल्लेखनीय है कि योजना के अंतर्गत राज्य में 23 जुलाई, 2025 तक कुल पात्र प्रकरणों में से 5,175 प्रकरणों का पूर्ण निस्तारण किया जा चुका है जबकि 2,514 प्रकरणों में ऋणी सदस्यों द्वारा स्वयं के हिस्से की आंशिक राशि जमा करवाई जा चुकी है। अब तक 25.62 प्रतिशत प्रकरणों को योजना के दायरे में लाया जा चुका है। ऋणी सदस्यों के उत्साह के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा योजना की अवधि में वृद्धि करते हुए ऋणी सदस्यों को 30 सितबर, 2025 तक खाता निस्तारण करवाने का अवसर प्रदान किया गया है। योजना के अंतर्गत अवधिपार प्रकरणों में ऋणी सदस्यों द्वारा मूल धन जमा करवाने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत प्रतिशत की राहत प्रदान की जा रही है।

यूनियन की ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन, जगमीत सिंह बने ब्लॉक अध्यक्ष

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

श्रीगंगानगर । जिले की गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक की सादुल शहर शाखा अंतर्गत संचालित बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों एवं सहायक व्यवस्थापकों की एक बैठक का आयोजन किया गया । जिसमें जिला यूनियन श्रीगंगानगर की सादुल शहर ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति करते हुए व्यवस्थापकों एवं सहायक व्यवस्थापकों ने ब्लॉक अध्यक्ष पद पर छापावाली पैक्स व्यवस्थापक जगमीत सिंह चहल एवं उपाध्यक्ष पद पर गदरखेड़ा पैक्स व्यवस्थापक गुरप्रीतसिंह तथा सचिव पद पर तख्तहजारा पैक्स व्यवस्थापक रामभगत शर्मा को चुना । इस दौरान शाखा प्रबन्धक गगनदीप सिंह, वकील सिंह, रामकुमार, अग्रेंज सिंह, भुपेन्द्रसिह, वेदप्रकाश शर्मा, अजयकुमार गोदारा, गुरभेज सिंह, मंगतराम, अमरजीत गिल, ओमप्रकाश शर्मा, सुनील कुमार उपस्थित रहें ।

हालीवाड़ा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति की कार्यकारिणी का गठन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सिरोही । राज्य सरकार की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन की कवायद के तहत सिरोही जिले के हालीवाड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन के लिए स्वीकृति सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा 19 जून को जारी की गई । जिसके क्रम में उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कार्यालय सिरोही के निरीक्षक शैलेन्द्र पाल सिंह देवड़ा एवं सीसीबी शाखा कालन्द्री ऋण पर्यवेक्षक नरपतसिंह चारण की देखरेख में संचालक मण्डल कार्यकारिणी का गठन किया गया । जिसमें अध्यक्ष पद पर हिन्दाराम माली एवं उपाध्यक्ष पद पर गणपतसिंह के अलावा कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर देवाराम पुरोहित, प्रभुराम देवासी, शेर सिंह, उम्मेदसिंह, खुबाराम मेघवाल, डायाराम मेघवाल, प्रभु राम भील, प्रवीण कुमार प्रजापत एवं कैलाश कंवर, मीना देवी पुरोहित को निर्विरोध निर्वाचित किया गया । इस दौरान मंडिया व्यवस्थापक मुकन सिंह देवल सहित अनेक किसान मौजूद रहें ।

जांच परिणामों की प्रति ऑनलाइन करवाई जाए उपलब्ध

मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित समय में करें प्रकरणों की जांच-प्रमुख शासन सचिव सहकारिता

- पक्षकारों को नोटिस जारी करने, नोटिस की तामील करवाने एवं रिकॉर्ड की तामील आदि कार्य समयावधि में पूरे किए जाएं।

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम-2001 की धारा 55 एवं 57 के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों की जांच इस संबंध में जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित समय में पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि कार्यवाही में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समस्त प्रक्रियाएं पूरी की जाए, जिससे निर्बाध रूप से कार्यवाही सम्पन्न हो सके। श्रीमती राजपाल शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष से वीसी के माध्यम से राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम-2001 की धारा 55, 57 (1) एवं 57 (2) के तहत लम्बित प्रकरणों की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने इस संबंध में विगत दिनों में अर्जित की गई उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए आगामी समय में भी इसी भावना के साथ कार्य करते रहने की आवश्यकता व्यक्त की। श्रीमती राजपाल ने कहा कि उक्त धाराओं के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही के जांच परिणामों की प्रति ऑनलाइन भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए प्रधान कार्यालय के स्तर पर कवायद शुरू की जाए। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि माननीय न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) स्तर पर इनकी समीक्षा की जाए। कोर्ट स्टे वाले प्रकरणों से स्टे हटवाने के प्रयास किए जाएं। पक्षकारों को नोटिस जारी करने, नोटिस की तामील करवाने एवं रिकॉर्ड की तामील आदि कार्य समयावधि में पूरे किए जाएं। जिन प्रकरणों में कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है, उनकी सूचना एवं जांच परिणाम आदि अविलम्ब प्रधान कार्यालय को भिजवाई जाए। साथ ही, जांच रिपोर्ट अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) कार्यालय को भी आवश्यक रूप से भिजवाई जाए। बैठक में अधिक लम्बित प्रकरणों वाले तीन खण्डों जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) श्रीमती शिल्पी पांडे, संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम) श्री अजय उपाध्याय एवं सहायक रजिस्ट्रार (मॉनिटरिंग) श्री शिरीष चांदे नेहरू सहकार भवन स्थित कॉफ्रेन्स रूम में मौजूद रहे। जबकि, संबंधित अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड), जिला उप रजिस्ट्रार एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

पैक्स कप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट की समीक्षा

पैक्स कप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट में निरन्तर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध की जाए कार्यवाही

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, सहकारी समितियों की ऑनलाइन ऑडिट होने से उनके कामकाज में पारदर्शिता आएगी, जिससे आमजन का उन पर विश्वास बढ़ेगा। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि ई-ऑडिट की अब तक की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए आगामी दिनों में अधिक सक्रियता के साथ काम कर समयबद्ध रूप से कार्य सम्पन्न करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। श्रीमती राजपाल नेहरू सहकार भवन में वीसी के माध्यम से पैक्स कम्प्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि कुछ केन्द्रीय सहकारी बैंकों के स्तर पर इस दिशा में अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन कई सीसीबी को निर्धारित लक्ष्य अर्जित करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यालय स्तर से इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने तथा कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों पर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव ने गो-लाइव, डे एंड, डायनामिक डे एंड, हैण्ड होल्डिंग एवं ई-पैक्स के बीच के अंतर को दूर करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन पैक्स, ऑडिटर अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंकों के स्तर पर इस कार्य में निरन्तर लापरवाही बरती जा रही है, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां भी ई-ऑडिट के कार्य में समस्या आ रही है, वहां विभागीय ऑडिटर नियुक्त किया जाकर प्रक्रिया सम्पन्न करवाई जाए। बैठक में अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक श्री संजय पाठक, संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम) श्री अजय उपाध्याय, संयुक्त मुख्य अंकेक्षक श्री शिवदयाल मीणा एवं सहकार से समृद्धि के कंसल्टेंट श्री आर.एस. जोधा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जबकि, जिला उप रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं स्पेशल ऑडिटर वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

गो-लाइव, डे एंड, डायनामिक डे एंड, हैण्ड होल्डिंग एवं ई-पैक्स के बीच के अंतर को दूर करने के निर्देश

कर्मचारी प्रशिक्षित एवं कार्यकुशल होने चाहिए

प्रमुख शासन सचिव ने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन कार्य के लिए नियोजित सिस्टम इंटीग्रेटर को भी अधिक सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अधिक गैप्स हैं, वहां अधिक संख्या में कर्मचारी लगाये जाएं। कर्मचारी प्रशिक्षित एवं कार्यकुशल होने चाहिए। श्रीमती राजपाल ने कहा कि जिन जिलों में पर्याप्त संख्या में स्टाफ है, वहां अच्छी प्रगति सामने आ रही है, इसलिए अन्य जिलों में भी इसी प्रकार के प्रयास किए जाएं। उन्होंने समस्याओं को दूर करने के लिए पैक्स स्तर तक सम्पर्क एवं संवाद कायम रखने के निर्देश दिए।

अवसायन प्रगति की समीक्षा

श्रीमती राजपाल ने बैठक में निष्क्रिय समितियों के अवसायन की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अलवर, भरतपुर, डीग, बीकानेर, धौलपुर, जयपुर, टोंक और कोटपूतली-बहरोड़ के उप रजिस्ट्रारों को आगामी 7 दिवस में पुनर्जीवन/अवसायन की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में डेटा एनसीडी पोर्टल पर अपडेट करने तथा बकाया लेनदारियों की वसूली कर दायित्वों की पूर्ति के लिए भी निर्देशित किया।

मुदरला ग्राम पंचायत पर गठित हुई बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सिरोही । जिले की आबू रोड पंचायत समिति अंतर्गत मुदरला ग्राम पंचायत परिसर में आज मुदरला बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन के लिए आमसभा आयोजित की गई। इसके गठन की स्वीकृति सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा 19 जून 2025 को जारी की गई थी । जिसके क्रम में ब्लॉक सहकारिता निरीक्षक शैलेन्द्रसिंह देवड़ा, सिरोही केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा आबूरोड़ मुख्य के शाखा प्रबंधक ध्रुवसिंह तथा आमथला जीएसएस व्यवस्थापक एवं मुदरला ग्राम पंचायत सरपंच भारमाराम गरासिया की देखरेख में अध्यक्ष पद पर जवानाराम देवासी एवं उपाध्यक्ष पद पर सरूपसिंह राजपूत के अलावा संचालक मण्डल सदस्य के तौर पर कालुसिंह, सुरेशसिंह, दलाराम, बलवंतराम, वागाराम, गणपतसिंह, सोमाराम सहित श्रीमति राधिका, सुश्री अमिया कुमारी, को सर्वसम्मति से चुना गया । इस दौरान ग्राम पंचायत मुदरला समिति सदस्य चंदनसिंह (1.म.स.), इन्दरमल, तारासिंह, आनन्दसिंह प्रभुराम, रेशमाराम, हुसाराम भोपालसिंह, मोहनसिंह, उपसरपंच कालुरामजी रामाराम, दीताराम, गणेशसिंह आवली, पृथ्वीसिंह गोहिल नीवराजसिंह, नारायणसिंह, बालाराम राशनडीलर, भंवरलाल पंचायत समिति सदस्य ताराराम सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहें ।

मारवाड़ का मित्र

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर (जिला-जालोर) शुक्रवार 1 अगस्त 2025

4

RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

सहकारिता विभाग का ध्येय वाक्य एक सब के लिए और सब एक के लिए, लेकिन सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों का "सभी पास में रहो" का नारा !

एक शाखा के सभी व्यवस्थापकों में 'गजब की सहकारिता'

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर। प्रदेश के सहकारिता विभाग का ध्येय वाक्य एक सब के लिए और सब एक के लिए हैं, जिसे बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक की रामसर शाखा कार्यक्षेत्र में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों ने खूब अच्छी तरह से समझकर सहकारिता का नया नमूना पेश किया हैं । क्योकि इन्होंने रामसर बाजार में एक ही जगह करीब-करीब समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्यालय खोल रखे हैं । जबकि इनमें से अधिकतर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सरकार ने कई 12 लाख तो कई 10 लाख की लागात से गोदाम और कार्यालय भवन बनाकर खड़े किए हैं । परंतु इस शाखा में सभी व्यवस्थापक पास में रहों का नारा ही चल रहा है। ऐसे में व्यवस्थापक सारे कागजात के साथ एक लेपटॉप थैले में ही बंद रखकर सोसायटी का संचालन कर रहें हैं । जानकारी के अनुसार इस शाखा अंतर्गत करीब-करीब सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम बने कई साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद समितियों में निर्वाचित प्रबंधन कमेटी द्वारा किसानों को समय पर ऋण के अलावा अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने की बात तो दूर सोसायटी व्यवस्थापक को समिति कार्यालय खोलने के लिए पाबंद नहीं कर पाई हैं, ऐसे में समिति के जरूरी कागजात व्यवस्थापक के कंधे पर लटकते थैले में ही नजर आते हैं। यहां व्यवस्थापकों की मनमर्जी के अनुसार ही काम चल रहा है।

हाथमा स्थित देरासर सहकारी समिति के गोदाम पर लटकता हर समय ताला

फैक्ट फाइल

रामसर शाखा में 28 सहकारी समितियां संचालित
इस शाखा में 17442 पंजीकृत किसान सदस्य
15237 ऋण लेने वाले किसान सदस्य
फसली सहकारी ऋण वितरित 48 करोड़

नोट ; इस क्षेत्र की सहकारी समितियों द्वारा साल में केवल एक बारिय खरीफ सीजन का ही ऋण वितरित होता हैं ।

फोन बंद हुआ तो समिति को ताला

इस शाखा की खारा एवं भिंडे का पार ग्राम सेवा सहकारी समिति को छोड़कर सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का सहकर्मी स्थान या लचीला कार्यालय रामसर बाजार में बना हुआ हैं । यहां कार्यालय का संचालन व्यवस्थापक अपनी मनमर्जी से कर रहें हैं । वे जहां भी फोन शुरू करते हैं, समिति का काम काज वहीं शुरू हो जाता और फोन बंद हो जाए तो मानो कार्यालय को ताला लग गया है। ऐसे में ग्रामीणों को हर समय व्यवस्थापक के इशारों पर ही कामकाज निपटाने पड़ते हैं।

जिसको मिलना है वो पहले फोन करे

सरकार ने लाखों खर्च कर किसानों के लिए भले ही ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम और कार्यालय भवन बनाया हो, लेकिन इस शाखा के व्यवस्थापक की बदौलत किसानों का कोई हित होता नहीं दिख रहा है। किसानों को समिति से ऋण लेना है तो पहले व्यवस्थापक से फोन पर सम्पर्क करना पड़ता है। इसके बाद ही ऋण की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

इनका कहना... क्षेत्र के किसानों का कहना हैं कि रामसर शाखा की खारा एवं भिंडे का पार सहकारी समिति को छोड़कर किसी भी सहकारी समिति का कोई कार्यालय खुला नहीं रहता हैं । व्यवस्थापक खुद ही अपने पास रिकार्ड रखते हैं। रिकॉर्ड व व्यवस्थापक का कोई अता पता नहीं रहता है।

15 उम्मीदवार निर्वाचन लड़ने योग्य घोषित

सीकर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक संचालक मंडल चुनाव 4 अगस्त को

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सीकर। सीकर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड संचालक मंडल के चुनाव आगामी 4 अगस्त को कराए जाएंगे। बैंक निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि मंगलवार को नाम वापसी के पश्चात् महिला वर्ग से नीलिमा जोशी एवं अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) वर्ग में श्रवण कुमार मीणा निर्विरोध संचालक निर्वाचित घोषित किए गए हैं। राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि संचालक मंडल के शेष 9 पदों हेतु कुल 15 उम्मीदवार निर्वाचन लड़ने योग्य घोषित किए गए हैं। इनमें आठ सामान्य वर्ग एवं एक अनुसूचित जाति (एस.सी.) वर्ग से संचालकगण निर्वाचित होने हैं। समस्त उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। आगामी सोमवार, 4 अगस्त को इन नौ पदों हेतु निर्वाचन स्थल, अग्रवाल समाज प्रन्यास परिसर, सुभाष चौक, सीकर में प्रात: 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। मतदान प्रक्रिया में पूर्व में वार्ड स्तर पर निर्वाचित घोषित कुल 110 प्रतिनिधि साधारण निकाय सदस्य हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि मंगलवार, 5 अगस्त को प्रात: 10:00 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी एवं तत्पश्चात परिणाम की घोषणा की जाएगी। बुधवार, 6 अगस्त को पदाधिकारियों के निर्वाचन प्रक्रिया अंतर्गत प्रात: 10:00 बजे से निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होगी और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन कर इसी दिवस परिणाम घोषित किया जाएगा

फसली सहकारी ऋण चुकारे की अल्प समय के लिए बढ़ी तिथि

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान में फसली ऋण चुकारे की तिथि को लेकर चिंतित किसानों के लिए अल्प राहत की खबर आई हैं । क्योकि सहकारिता विभाग ने अल्पकालीन फसली ऋण के चुकारे की तिथि 5 अगस्त तक बढ़ा दी हैं । सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया हैं । जिसके मुताबिक रबी 2024-25 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी तिथि 30 जून जो पूर्व में निर्धारित थी, उसको बढ़ाकर 5 अगस्त या 12 माह, जो भी पहले हो, किया गया हैं। साथ ही, इस विस्तारित अवधि 1 जुलाई से 5 अगस्त तक का ब्याज सहकारी बैंकों के मत्थे मढ़ दिया गया हैं । इसके अलावा, पत्र में बताया गया हैं कि विभाग अल्पकालीन फसली ऋण के लिए नाबार्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा, ताकि नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त प्राप्त किये जाने पर किसी प्रकार का विपरित प्रभाव-कठिनाई नहीं हो । गौरतलब हैं कि सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने किसानों हित में तिथि बढ़ाने के लिए निरंतर सहकारिता विभाग को पत्र लिखकर अवगत करवाया था । जिसमें विस्तारित अवधि का ब्याज सरकार स्तर से वहन करने की मांग भी रखी थी ।

सरकार करें पुनर्विचार..

ऋण माफी के विलंब भुगतान पेटे देय ब्याज के तौर पर सरकार स्तर से बकाया 767 करोड़ की राशि केंद्रीय सहकारी बैंकों को नहीं मिलने से उनकी आर्थिक सेहत पहले से ही नाजुक दौर से गुजर रही है। सरकार द्वारा बढ़ाई गई अवधि का ब्याज भार सहकारी बैंकों पर डालना उनकी आर्थिक स्थिति, सहकारी साख आंदोलन की मज़बूती एवं सहकारिता से किसान की समृद्धि के लिए उचित नहीं है । सरकार स्तर से ब्याज का भुगतान करने की मांग की गई, लेकिन आज जारी आदेश में ब्याज का भार सहकारी बैंकों पर डाल दिया गया हैं, यह निराशाजनक है । इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए !

- सूरजभानसिंह आमेरा, सहकार नेता

फसल बीमा योजना राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल कटाई प्रयोगों पर एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा फसल कटाई पर प्रयोगों पर लगायी गयी आपत्तियों के निस्तारण हेतु बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों एवं राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के सदस्यों के साथ पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शासन सचिव ने जैसलमेर, जालोर और नागौर जिलों के रबी 2023-24 के 79 फसल कटाई प्रयोगों की आपत्तियों के निस्तारण हेतु जिले के अधिकारियों एवं बीमा कम्पनी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर योजना प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही कर आपत्तियों का निस्तारण किया। उन्होंने कहा कि फसल कटाई प्रयोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाईडलाईन के अनुसार पूरी ईमानदारी से समय पर संपादित करें। फसल कटाई प्रयोगो में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि खरीफ 2023 का 01 हजार 8 14 करोड़ रूपये एवं रबी 2023-24 के 01 हजार 214 करोड़ रूपये के क्लेम पात्र फसल बीमा पॉलिसी धारक कृषकों को वितरित किये जा चुके हैं। किसानों के बकाया फसल बीमा क्लेम की राशि अतिशीघ्र वितरित कर दी जायेगी। वर्तमान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषकों को अब तक लगभग 3 हजार 878 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान 120 लाख फसल बीमा पॉलिसी धारक पात्र कृषकों को किया जा चुका हैं। बैठक में विभागीय अधिकारी और इन्श्योरेन्स कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जिला सहकारिता विकास कमेटी की बैठक का आयोजन अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में

पैक्स विहीन 39 ग्राम पंचायतों में शीघ्र कराएं ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। जिला सहकारिता विकास कमेटी (डीसीडीसी) की बैठक का आयोजन अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर मुकेश मूण्ड की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में उन्होंने पैक्स विहीन 39 ग्राम पंचायतों में शीघ्र ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन हेतु निर्देशित किया। पैक्स कम्पयूटराईजेशन योजनान्तर्गत चयनित पैक्स को अगस्त माह में गो-लाइव किये जाने एवं सीएससी में पंजीकृत पैक्स में आय बढ़ाने के अवसर हेतु निर्देशित भी किया गया है। म्हारो खातो म्हारो बैंक योजना के अंतर्गत पंजीकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के खाते केन्द्रीय सहकारी बैंक में खुलवाने एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। विश्व की सबसे बडी अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत कालवाड जीएसएस एवं चांदमाकलां जीएसएस में पूर्ण गोदाम को आय अर्जित करने के प्रयास करने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर के द्वारा निर्देशित किया गया। जिसमें प्रबन्ध निदेशक जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर/ग्रामीण), उप रजिस्ट्रार, जयपुर डेयरी, जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड, जिला अधिकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, प्रतिनिधि एफसीआई, प्रतिनिधि एसड लूसी जिला प्रभारी राजीविका, जिला अधिकारी शिक्षा विभाग, जिला प्रबन्ध निदेशक इफको एवं कृभको उपस्थित रहे।

शीर्ष सहकारी संस्थाओं में सालों से नहीं हुए चुनाव...

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । सहकारी संस्थाओं में समयबद्ध चुनाव और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पिछली कई सरकारों ने भले ही समय-समय पर चुनाव कराने लिए नया कानून लाने के दावे किए हों, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश की शीर्ष स्तर की सहकारी संस्थाओं के चुनाव कई सालों से नहीं हुए हैं और न ही इन संस्थाओं में चुनाव के लिए आज दिन तक कवायद की जा रही हैं । इससे इन संस्थाओं के कई छोटे-बड़े कामों के संधारण में अड़चनें आने लगी हैं। वही सहकारी संस्थाओं में संचालक बोर्ड का कार्यकाल सालों पहले खत्म होने के बावजूद तत्कालीन सरकारों ने यहां चुनाव कराने के बजाए प्रशासक नियुक्त कर दिए थे । गत भाजपा सरकार ने भी अधिकत्तर शीर्ष सहकारी संस्थाओं में चुनाव नहीं कराए। इसके बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने भी पूरे कार्यकाल में इस तरफ ध्यान नहीं दिया । जिसके परिणाम स्वरुप अपेक्स बैंक में 2016, राजफेड में 1995, कॉनफेड में 2014, एसएलडीबी में 2015, सहकारी मुद्रणालय में 1997, सहकारी संघ में 2016, अनुजा निगम में 1999, तिलम संघ में 2005 से लेकर अब तक प्रशासक नियुक्त हैं। इसी तरह, आवासन संघ और राजस्थान राज्य क्षेत्रीय जनजाति सहकारी विकास संघ उदयपुर में एक बार भी चुनाव नहीं हुए हैं । जबकि राजस्थान राज्य क्षेत्रीय जनजाति सहकारी विकास संघ उदयपुर में स्थापना से लेकर समय-समय पर सरकार द्वारा मनोनीत संचालक मण्डल का गठन किया जा रहा हैं ।

इन शीर्ष सहकारी संस्थाओ में प्रशासक नियुक्त

संस्था का नाम	अंतिम चुनाव	प्रशासक नियुक्ति
अपेक्स बैंक	2011	2016
राजफेड	1992	1995
कॉनफेड	2011	2014
एसएलडीबी	2010	2015
सहकारी मुद्रणालय	1994	1997
सहकारी संघ	2013	2016
अनुजा निगम	1996	1999
तिलम संघ	प्रारंभ से ही चुनाव नहीं	2005

हर बार एक ही राग

शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्थाओं में चुनाव के विभागीय नियमों में संशोधन करने या नया अधिनियम लाने लाकर ही चुनाव समयबद्धता से करवाने की बात पिछले दो दशक से कही जाती रही हैं । कहा जाता हैं कि नया कानून आने के बाद ही सहकारी संस्थाओं के चुनाव भी लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज और निकाय चुनाव की तरह हर 5 साल में करवाने की कानूनी बाध्यता हो जाएगी।

देखी जा रही है राजनीतिक लाभ हानि

सहकारी संस्थाओं से जुड़े पूर्व पदाधिकारी बताते हैं कि सरकार कई बार अपना राजनीतिक लाभ हानि के चलते शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्थाओं से लेकर ग्राम स्तर की सहकारी संस्थाओं के चुनावों को टालती रहती है। वर्तमान में 12 शीर्ष सहकारी संस्थाओं के चुनाव होना लंबित हैं। प्रदेश में करीब साढ़े 1600 ग्राम सेवा सहकारी समितियां के चुनाव लंबित चल रहे हैं। इनमें से कई समितियां ऐसी है जिनके चुनाव वर्ष 2022-23 में ही लंबित हो चुके हैं लेकिन अब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है।

1,629 हिस्ट्रीशीटर घोषित... बैंकों से लिया पैसा हजम

हर डिफॉल्टर पर 25 लाख से ज्यादा का लोन — 1.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक बकाया

जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वाले कर्जदारों पर बैंकों का बड़ा एक्शन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,629 कर्जदारों को जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है। ये वे उधारकर्ता हैं। जिनके ऊपर 31 मार्च 2025 तक कुल 1.62 लाख करोड़ से अधिक राशि का बकाया है, लेकिन फिर भी वे कर्ज चुकाने से बचते रहे हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में जानकारी के अनुसार इन डिफॉल्टर्स के नाम अब क्रेडिट सूचना कंपनियों जैसे सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और सीआरईएफ, हाई मार्क की वेबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि दूसरे बैंक इनसे बच सकें।

रू. 12,08,828 करोड़ 10 साल में बट्टे खाते

(आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों (पीएसबी) ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 (अनंतिम आंकड़ा) तक कुल 12,08,828 करोड़ रुपए की ऋण राशि को बट्टे खाते में डाला है। इसमें सबसे अधिक राशि भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की है।

कौन होता है इरादतन चूककर्ता ? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, इरादतन चूककर्ता वे उधारकर्ता होते हैं, जिनके पास भुगतान करने की क्षमता होती है लेकिन वे जानबूझकर ऋण नहीं चुकाते। यानी, यह केवल वित्तीय कमजोरी का मामला नहीं, बल्कि नीयत की कमी का संकेत होता है।

9 डिफॉल्टर्स को घोषित किया भगोड़ा आर्थिक अपराधी

देश में ही नहीं, विदेश भाग चुके 9 कर्जदारों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) के तहत भगोड़ा घोषित किया गया है। इन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए (पीएमएलए) के तहत लगभग 15,298.27 करोड़ और एफईओए (एफईओए) के तहत 749.87 करोड़ की संपतियां जब्त की हैं। यही नहीं, नौ आरोपियों को पीएमएलए के तहत दोषी भी ठहराया जा चुका है।

विदेशी बैंकों से साझा की जाएगी सूची

वित राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में जानकारी दी कि विदेशी उधारकर्ताओं को छोड़कर, विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची को मासिक रूप से अपडेट किया जाता है। 30 जुलाई 2024 तक की जानकारी के अनुसार, इन डिफॉल्टर्स के विवरण भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों की शाखाओं को भी साझा किए जाएंगे, जब तक कि संबंधित देशों के कानून इस पर रोक न लगाएं।

बैंकों का सख्त रुख

बैंक अब ऐसे डिफॉल्टर्स के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपना रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की अतिरिक्त ऋण सुविधा नहीं दी जाती, साथ ही ऐसी इकाइयों को 5 वर्षों तक नए उद्यम शुरू करने से रोक दिया जाता है। जिन कंपनियों के निदेशक विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, उन्हें पूंजी बाजार भारतीय रिजर्व बैंक से फंड जुटाने की अनुमति नहीं होती। किसी भी संस्था से जुड़े विलफुल डिफॉल्टर की किसी भी प्रकार की ऋण सुविधा देने पर भी रोक लगाई है। यह सख्ती न केवल बैंकों के पैसे की सुरक्षा सुनिशित करेगी, बल्कि ईमानदार करदाताओं के विश्वास को भी मजबूत बनाएगी।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म परावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।